





जिसमें आपकी शिकायत की गई। इसका  
 वादिका/प्रतिवादी के साथ के हिसाब  
 का पुनः बतवाय प्रस्ताव पेश करने  
 हेतु TDR पिडावा को तैयार जारी हो।  
 पत्रावली वाले डेजार् के द्वारा प्रस्ताव  
 दि. 17/09/25 को पेश हो।

  
 18/8/25

17/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अमृतपति चौराण  
 अस्थिर। वकील वादी एवं वकील प्रति  
 1 से 8 के प्रकरण से अब कोई कार्यवाही  
 नहीं करने का निवेदन करते हुए  
 प्रकरण से वादपत्र (pleaint) एवं पेश प्रति  
 वादपत्र (counter claim) को withdraw  
 करने का निवेदन किया गया। प्रति 9  
 से 14 के भी कोई आपत्ति नहीं की  
 अतः वादी व प्रति 01 से 8 को वाद एवं  
 प्रतिवादी दोनों को withdraw करने  
 की अनुमति दी जाती है। प्रकरण के लिए  
 गुमान लेकर लेकर से काम होकर  
 कास वकील वकील वारंसील दफ्तर ही।

वकील अमृतपति  
 वाद पर निवेदन कर  
 रचें।  
  
 जयदेवजी का वी  
 को पत्र अमुक  
 का उतर 9/15  
 वाद का draw  
 का रहा है  
 व लोकाधीनता है।  




  
 17/9/25  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पिडावा, जिला कलकत्ता (राजेश्वर)

